

**बिहार सरकार**

**वित्त विभाग**

**संकल्प**

पटना, दिनांक:-09/09/2015

**विषय:-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4725 दिनांक- 25/05/2015 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09/09/2015 को केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मंहगाई भत्ता की दर को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि—


- (i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/07/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।
- (iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
- (iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।
- (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2015 से भुगतये है और इसका भुगतान सितंबर, 2015 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2015 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।


**आदेश—** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(एच0आर0 श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन) ।


**ज्ञापांक:-**3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7922/वि० पटना, दिनांक:-09/09/2015

**प्रतिलिपि:-**महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(एच0आर0 श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन) ।


**ज्ञापांक:-**3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7922/वि० पटना, दिनांक:-09/09/2015

**प्रतिलिपि:-**महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(एच0आर0 श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन) ।


**ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7922/वि० पटना, दिनांक:-09/09/2015**

**प्रतिलिपि:-**महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महंगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

  
(एच०आर० श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन) ।


**ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7922/वि० पटना, दिनांक:-09/09/2015**

**प्रतिलिपि:-**प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(एच०आर० श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन) ।

**ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-7922/वि० पटना, दिनांक:-09/09/2015**

**प्रतिलिपि:-**प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा-3ए को उपलब्ध करायी जाए ।

  
(एच०आर० श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन) ।